राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या–1147/2014/जोधपुर

मै. शंकर टिम्बर एण्ड हैण्डीक्राफ्ट्स
36, "बी" रामनगर, सांगरिया, जोधपुर। ....अपीलार्थी

बनाम

उपायुक्त (प्रशासन), वाणिज्यिक कर विभाग
जोधपुर। .....प्रत्यर्थी

खण्डपीठ
श्री नत्थूराम, सदस्य
श्री मदन लाल मालवीय, सदस्य

उपस्थित : :

श्री आर.सी.लूंकर
अभिभाषक ....अपीलार्थी की ओर से

श्री जमील जई
उप राजकीय अभिभाषक ....प्रत्यर्थी की ओर से

निर्णय दिनांक : 07.11.2017

निर्णय

1. अपीलार्थी द्वारा यह अपील उपायुक्त (प्रशासन), वाणिज्यिक कर विभाग, जोधपुर (जिसे आगे **'प्रशासनिक अधिकारी'** कहा जायेगा) के अपीलार्थी के राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **'वेट अधिनियम 2003'** कहा गया है) की धारा 68(1) के तहत प्रस्तुत किये गये प्रार्थना–पत्र संख्या उपाजो/एई/2013–14/1786 में पारित किये गये आदेश दिनांक 20.01.2014 के विरूद्ध वेट अधिनियम की धारा 83 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत–प्रतिकरापवंचन, जोधपुर द्वारा अपीलार्थी के व्यवसाय स्थल का सर्वेक्षण दिनांक 19.01.2012 को किये जाने पर पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा अप्रैल 2011 से जनवरी, 2012 के मध्य रूपये 31,95,513/– का 14 प्रतिशत की दर से कर योग्य माल बिना बिक्री बिल जारी किये विक्रय किया गया है एवं उक्त सम्पूर्ण संव्यवहार लूज पेपर्स में अंकित किया गया है। इस प्रकार स्पष्ट रूप से करापवंचन का मामला होने से प्रकरण वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, जोधपुर (जिसे आगे **'कर निर्धारण अधिकारी'** कहा जायेगा) को प्रेषित किया गया। कर निर्धारण अधिकारी ने अपने आदेश दिनांक 31.01.2012 द्वारा धारा 25(1) के अन्तर्गत कर राशि रू. 4,47,372/– एवं धारा 61 में शास्ति रू. 8,94,744/– आरोपित की। व्यवसायी ने दिनांक 13.03.2012 को शास्ति प्रशमन हेतु निवेदन किया। अधीनस्थ न्यायालय ने आदेश दिनांक 28.08.2012 द्वारा प्रश्मन आवेदन अस्वीकार किया। व्यवसायी ने उक्त आदेश के विरूद्व माननीय कर बोर्ड अजमेर में अपील दायर की जिसमें निर्णय दिनांक 18.06.2013 द्वारा अपील स्वीकार करते हुये प्रकरण प्रतिप्रेषित किया गया। प्रशासनिक अधिकारी ने अपीलार्थी व्यवहारी का प्रकरण प्रशमन योग्य नहीं मानते हुए अपीलाधीन आदेश दिनांक 20.01.2014 से

लगातार.....2

अपीलार्थी का प्रार्थना–पत्र अस्वीकार कर दिया। प्रशासनिक अधिकारी के उक्त आदेश से क्षुब्ध होकर अपीलार्थी द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गयी है।

3. उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

4. बहस के दौरान विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने कथन किया कि प्रशासनिक अधिकारी ने अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बगैर अपीलाधीन आदेश से अपीलार्थी द्वारा वेट अधिनियम की धारा 68(1) के तहत दायर प्रार्थना–पत्र अस्वीकार किया है। अतः नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त के आधार पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार करते हुए प्रकरण में अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर प्रदान करने हेतु प्रकरण प्रशासनिक अधिकारी को प्रतिप्रेषित किये जाने का अनुरोध किया। इन्होंने अपने समर्थन में कर बोर्ड द्वारा पारित न्यायिक दृष्टांत टैक्स अपडेट वोल्यूम 38 पार्ट 8 पेज 330 मै. श्री पार्श्वनाथ एन्टरप्राइजेज पाली बनाम उपायुक्त पाली एवं कविता फैन्सी स्टोर जोधपुर बनाम उपायुक्त जोधपुर अपील संख्या 977/2014 निर्णय दिनांक 20.11.2015 प्रस्तुत किये।

5. राजस्व के विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक ने बहस के दौरान कथन किया कि प्रकरण में अपीलार्थी द्वारा करापवंचन की मंशा से माल का विक्रय किया गया है एवं कर निर्धारण अधिकारी द्वारा सुनवाई हेतु जारी किये गये नोटिस की पालना में अपना अपराध स्वीकार करते हुए नोटिस जारी किये जाने की दिनांक को ही फैसला किये जाने का अनुरोध किया गया है। ऐसी स्थिति में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अपीलार्थी की उचन्त बिक्री पर नियमानुसार कर एवं शास्ति का आरोपण किया गया है तथा प्रशासनिक अधिकारी ने प्रकरण के तथ्यों एवं अपीलार्थी की करापवंचन की मनोवृत्ति को दृष्टिगत रखते हुए प्रकरण को प्रशमन योग्य नहीं मानते हुए अपीलार्थी का प्रार्थना–पत्र अस्वीकार किये जाने में कोई विधिक भूल नहीं की है। उक्त कथन के साथ विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक ने अपीलार्थी की अपील अस्वीकार किये जाने का अनुरोध किया। इन्होंने अपेन समर्थन में राजस्थान कर बोर्ड द्वारा अपील संख्या 206/2014 मै. मॉ अम्बे एन्टरप्राइजेज, बाड़मेर बनाम उपायुक्त (प्रशासन) जोधपुर में पारित निर्णय दिनांक 10.04.2017 का न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किया।

6. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। न्यायालय निर्णय निम्न प्रकार है :–

7. प्रकरण में उपलब्ध तथ्यानुसार अपीलार्थी के व्यवसाय स्थल की जांच में पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा अप्रैल, 2011 से जनवरी, 2012 के मध्य लकड़ी की उचन्ति बिक्री की गई है। इस बाबत कर निर्धारण अधिकारी द्वारा जारी किये गये नोटिस की पालना में अपीलार्थी द्वारा अपनी गलती स्वीकार करते हुए उसी दिन फैसला करने का निवेदन किया गया है, जिसे मद्देनजर रखते हुए कर निर्धारण अधिकारी द्वारा निर्णय दिनांक 31.01.2012 द्वारा उचन्ति बिक्री पर निर्धारित दर से कर एवं कर की दुगुनी

लगातार.....3

शास्ति का आरोपण किया गया है। उक्त कर निर्धारण आदेश के विरूद्ध अपीलार्थी द्वारा प्रकरण को प्रशमन कराने हेतु अधिनियम की धारा 68(1) के तहत प्रार्थना—पत्र दिनांक 13.3.2012 को प्रस्तुत किया गया तथा उपधारा (2) के तहत विहित कर व प्रशमन राशि (कर के बराबर) कुल रूपये 8,94,744/— राजकोष में जमा भी करा दी गई, लेकिन प्रशासनिक अधिकारी ने प्रकरण प्रशमन योग्य नहीं मानते हुए अपीलाधीन आदेश दिनांक 28.8.2012 को पारित करते हुये प्रशमन प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर दिया तथा माननीय कर बोर्ड में व्यवहारी द्वारा अपील प्रस्तुत करने पर निर्णय दिनांक 18.06.2013 द्वारा प्रतिप्रेषित प्रकरण में अपीलीय अधिकारी द्वारा निर्णय दिनांक 20.01.2014 द्वारा प्रशमन प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया है।

7. विचाराधीन प्रकरण में कर निर्धारण आदेश दिनांक 31.01.2012 पारित होने के पश्चात् प्रशासनिक अधिकारी के समक्ष अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा वैट नियम 2006 के नियम 74(1) के तहत आवेदन पत्र दिनांक 13.03.2012 को प्रस्तुत किया गया था जिससे यह प्रमाणित है कि कर निर्धारण अधिकारी के आदेश दिनांक 31.01.2012 के पश्चात् प्रशमन हेतु आवेदन—पत्र प्रस्तुत किया गया था। उस आवेदन को बिना किसी सुनवाई के अस्वीकार किये जाने पर अपीलार्थी द्वारा माननीय राजस्थान कर बोर्ड में जो अपील प्रस्तुत की गयी थी उसमें भी माननीय कर बोर्ड द्वारा यह निर्देश दिये गये थे कि वे समुचित सनुवाई का अवसर प्रदान कर पुनः निर्णय पारित करें और उन्हें प्रदत्त अधिकारों का विधिसम्मत प्रयोग करें। उस क्रम में प्रशासनिक अधिकारी द्वारा अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया एवं उक्त अपीलाधीन आदेश दिनांक 20.01.2014 पारित किया गया जिसमें प्रशासनिक अधिकारी द्वारा यह निर्णय दिया गया है कि वेट अधिनियम की धारा 68(1) के तहत प्रशमन का आवेदन किसी शास्ति आरोपण की प्रस्तावित कार्यवाही के विरूद्ध ही किया जा सकता है अर्थात् शास्ति आरोपित करने के प्रस्तावित नोटिस के पश्चात् प्रशासनिक अधिकारी को आवेदन किया जाना आवश्यक है। उन्होंने यह निर्णय दिया कि धारा 68(1) में प्रशमन किये जाने के लिये आवेदन देने का जो प्रावधान किया गया है वह शास्ति आरोपित किये जाने के पूर्व ही कार्य में लिया जा सकता है क्योंकि किसी प्रस्तावित नोटिस को वेट अधिनियम की धारा 82, 83 व 84 के तहत अपील करने से वंचित रखते हैं तथा यह भी अवधारित किया है कि धारा 68 के लिये विहित प्रारूप वैट—60 की भाषा भी इस तथ्य की पुष्टि करती है कि प्रशमन हेतु आवेदन धारा 61 अथवा अभियोजन धारा 67 हेतु प्रस्तावित नोटिस के सन्दर्भ में ही दिया जा सकता है। उन्होंने यह भी निर्णय किया है कि उक्त प्रकरण में वेट अधिनियम की धारा 61 के तहत शास्ति आरोपित किये जाने के लिये प्रस्तावित नोटिस के विरूद्ध प्रशमन करने हेतु कोई आवेदन प्रशासनिक अधिकारी को नहीं दिया गया बल्कि कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष जवाब प्रस्तुत कर करापवंचन को स्वीकार किया गया था जिसके आधार पर दिनांक 31.01.2012 को कर निर्धारण अधिकारी द्वारा देय वैट एवं प्रस्तावित शास्ति आरोपित कर दी गयी थी अतः शास्ति आरोपण के पश्चात् दिये गये आवेदन दिनांक 13.03.2012 प्रस्तुत किया जाना ग्रहणीय नहीं है क्योंकि

लगातार.....4

शास्ति का आदेश पारित होने के पश्चात् धारा 68(1) में आवेदन नहीं किया जा सकता।

8. प्रशासनिक अधिकारी के निर्णय पर विचार किया गया एवं धारा 68(1) एवं 68(2) तथा नियम 74 में प्रदत्त वैट—60 का अध्ययन किया गया तब यह पाया गया कि प्रशासनिक अधिकारी वेट अधिनियम की धारा 68(2) के तहत किसी करापवंचन के मामले में एवं किसी अभियोग में अभियोजन के मामले में अभियोग का प्रशमन कर सकते हैं। अधिनियम की धारा 68(2) यह भी विहित करती है कि धारा 68(1) में आवेदन देने के पश्चात् प्रशासनिक अधिकारी प्रस्तावित कार्यवाही पर प्रशमन कर निर्धारण अधिकारी द्वारा कर निर्धारण आदेश करने के बाद भी या लम्बित रहने पर भी कर सकते हैं। धारा 68(2) में विहित भाषा से यह स्पष्ट है कि कर निर्धारण के पूर्व या पश्चात् उन मामलों में ही प्रशमन किया जा सकता है जिनमें धारा 68(1) के तहत आवेदन प्रस्तुत किया जा चुका हो। इस सम्बन्ध में धारा 68(1) व (2) को उद्धरित किया जाना समीचीन होगा :—

68. Composition of offences. –

(1) Where a person or a dealer is charged under this Act with the offence of avoidance or evasion of tax in any manner and at any time; he may make an application in the prescribed form and manner to the Deputy Commissioner (Administration) having jurisdiction, admitting his offence and making request therein for composition of the offence in lieu of penalty or prosecution.

(2) The Deputy Commissioner (Administration) may, whether or not an assessment order under any section of this Act has been passed, accept from the person who made the application under sub–section (1), by way of composition of the offence in lieu of penalty or prosecution a sum equal to of the amount of tax avoided or evaded.

9. धारा 68(2) के ये शब्द महत्वपूर्ण हैं कि "accept from the person who made the application under sub–section (1)," स्पष्ट है कि धारा 68(1) के तहत आवेदन करने के पश्चात् प्रशासनिक अधिकारी उस अभियोग का प्रशमन कर सकते हैं चाहे आवेदन प्रस्तुत करने के बाद कर निर्धारण अधिकारी द्वारा उस प्रस्तावित कार्यवाही में कर निर्धारण आदेश पारित कर दिया गया हो अर्थात् यह विधिक अनिवार्यता है कि कोई व्यक्ति या व्यवसायी जिसके विरूद्ध वेट अधिनियम के तहत किसी करापवंचन का अभियोग बनाया हुआ है और उसके लिये उस पर प्रस्तावित कार्यवाही (charge) का नोटिस जारी किया गया हो ऐसी स्थिति में वह उस कार्यवाही से मुक्ति प्राप्त करने हेतु धारा 68(1) के तहत आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं परन्तु जिन मामलों में कार्यवाही प्रस्तावित करने के पश्चात् कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष ही जवाब प्रस्तुत कर उस अभियोग का निस्तारण कर दिया जाता है तो उस हालत में उसके पश्चात् अभियोग का प्रशमन किये जाने का आवेदन नहीं किया जा सकता। प्रशासनिक अधिकारी का यह उल्लेख पूर्णतया विधिसम्मत है कि वैट—60 के तहत आवेदन ही मूल रूप से केवल नोटिस के सम्बन्ध में ही नियमों में विहित किया गया है। वैट—60 का मूल पाठ उद्धरित किया जाना समीचीन है :—

लगातार.....5

FORM VAT-60
[See Rule 74(1)]
Application for Composition of Offence
under Sub-section (1) of Section 68

To

The Dy. Commissioner (Adm.)
Zone _____

Sir,

I have been **served with a notice for imposition of penalty** U/s 61(1) / prosecution u/s 67. Details of the offence for which notice has been issued, are as under :-

(1) Nature of offence committed

(2) Section relating to the offence:

(a) Penalty u/s 61(1)

(b) Prosecution u/s 67

(3) Date of Survey conducted

(4) Date of detection of the case

(5) Date of **last notice received**

(6) Registration No. (TIN), if any

(7) Designation of issuing officer/**authority of notice**

In this regard, it is submitted that I admit the offence and request for composition of the offence in lieu of penalty or prosecution.

Place:
Date:

Signature
Name of the dealer/ person
Addres

10. उक्त प्रारूप में Notice for imposition of penalty के लिये आवेदन का स्पष्ट उल्लेख है जिसमें अभियोग बनाने एवं अन्तिम नोटिस दिनांक तक का ही हवाला दिया गया है। इससे स्पष्ट है कि प्रशमन हेतु **आवेदन** केवल नोटिस के पश्चात् एवं आदेश से पूर्व किया जा सकता है परन्तु **आवेदन** करने के बाद प्रशासनिक अधिकारी उस पर निर्णय करने के लिये अधिकृत हैं चाहे वह अभियोग का निस्तारण कर निर्धारण अधिकारी के स्तर पर हो चुका हो। धारा 68 एवं वैट–60 के अध्ययन से यह निष्कर्ष प्राप्त होता है कि विधायिका द्वारा धारा 68 का प्रावधान किसी प्रस्तावित आरोप को प्रशमित करने के लिये किया गया है एवं किसी नोटिस के पश्चात् किसी मामले में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा शास्ति आदेश पारित कर दिया जाता है तो उसके पश्चात् उसके विरूद्ध अपील किये जाने के प्रावधान वेट अधिनियम की धारा 82 में किये गये हैं तथा धारा 68(1) में आवेदन की पात्रता समाप्त हो जाती है। उक्तानुसार यह विधि स्पष्ट है कि धारा 68(1) में प्रशमन हेतु **आवेदन** केवल प्रस्तावित नोटिस के बाद परन्तु किसी कर निर्धारण आदेश

लगातार.....6

के पूर्व ही दिया जा सकता है; एवं (2) ऐसा आवेदन देने के पश्चात् धारा 68(2) में प्रशमन किया जा सकता है चाहे आवेदन के पश्चात् कर निर्धारण आदेश पारित कर दिया गया हो अथवा नहीं।

11. माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्णय (2009) 25 टैक्स अपडेट पेज 20 मै. राजेन्द्र इलेक्ट्रिकल्स बनाम वाणिज्यिक कर अधिकारी वार्ड प्रथम, जालौर के प्रकरण में यह अभिनिर्धारित किया है कि व्यवहारी के लिखित स्वीकारोक्ति के पश्चात् आरोपित शास्ति विधिसम्मत है।

12. फलतः प्रशासनिक अधिकारी का यह निर्णय विधिसम्मत है कि कर निर्धारण अधिकारी के द्वारा आदेश पारित करने के बाद अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत प्रशमन हेतु आवेदन श्रवण योग्य नहीं है।

13. परिणामतः प्रशासनिक अधिकारी के आदेश की पुष्टि की जाती है एवं अपीलार्थी व्यवहारी की अपील अस्वीकार की जाती है।

14. निर्णय सुनाया गया।

(मदन लाल मालवीय)
सदस्य

(नत्थूराम)
सदस्य